

सेवा में,

भूमि सुधार उप समाहर्ता,

सोनपुर छपरा(सारण),

दिनांक - 14/02/2023

विषय - अवैध दाखिल खारिज याचिका संख्या 3567 / 2022 - 2023 को रोकने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

निवेदन है कि सोनपुर अंचल के खरिका ग्राम में हमारा पुस्तैनी घर एवं जमीन है, जिसका खाता संख्या - 313 , खेसरा संख्या - 468 , जमाबंदी संख्या - 54 /760 , भाग वर्तमान - 6 , पृष्ठ संख्या 666 एवं रकबा - 29.8 डिसमल है । इस जमीन के 29.8 डिसमल का लगान पूर्वजो से हम देते आ रहे हैं। वर्तमान में २०२२ तक इसका लगान जमा है जिसके रसीद सलग्न कर रहे हैं।

महोदय, इस जमीन पर हमारे पड़ोस के लोगो ने अंचल कार्यालय में फ़र्जी दस्तावेज दे कर हमारे जमीन का रकबा 29.8 डिसमल में से 3.55 डिसमल जमीन पर दाखिल खारिज करने के लिए आवेदन दिया है जिसे अवैध रूप से खरिका कर्मचारी संजय कुमार एवं RO विश्वजीत सिंह द्वारा सत्यापित भी कर सीओ के पास भेज दिया है। वर्तमान में RO विश्वजीत सिंह ही अंचल अधिकारी के चार्ज में हैं।

महोदय, इस अवैध दाखिल खारिज को रोकने के लिए हमने अंचल कार्यालय में आवेदन दिया 18/11/2022 को दिया था जिसके आलोक में सीओ कार्यालय से दिनांक: 9/2/2023 को दोनों पार्टी को बुलाया था। जब हम वहां उपस्थित हुए तो सीओ साहब ने हमारा वर्तमान रसीद जमीन के कागजात को नहीं देखा तथा दूसरे पार्टी के अवैध दस्तावेज को देख रहे थे। दूसरे पार्टी के अनुसार हमारे दादा रामलगन सिंह ने 1958 में 3.55 डिसमल जमीन उनके परदादा को लिखे थे जो वो 65 साल बाद दाखिल खारिज करने के लिए लाये हैं।

महोदय, सच बात यह है के हमारे पड़ोसी को अपने घर तक जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। 2022 में सरपंच एवं गांव के लोगो के सामने हमने अपने जमीन 29.8 डिसमल से 10 फ़ीट जमीन अपने जाने के लिए एवं पड़ोसी के जाने के लिए छोड़ा था। इसके बाद भी पड़ोस के लोग अवैध दाखिल खारिज करना चाह रहे हैं।

अतः आपसे अनुरोध है के इस याचिका को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए तथा उचित करवाई की जाए ।

संलग्न - राजस्व भूमि रसीद 2022 तक,

अवैध दाखिल खारिज याचिका

3567 R 27 / 2022 -2023

आपका विश्वासी,

राजीव रंजन सिंह

अशोक कुमार सिंह,

सुरेंद्र कुमार सिंह

ग्राम + पो - खरिका

जिला – सारण

वर्तमान पता,

बी-३८, मित्रमंडल कॉलोनी , साकेत विहार , अनिशाबाद पटना – ८००००२ फ़ोन - 8210212499

